



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13112024-258625
CG-DL-E-13112024-258625

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 909]
No. 909]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 13, 2024/कार्तिक 22, 1946
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 13, 2024/KARTIKA 22, 1946

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2024

फा .सं. 6(1)95-नालसा.—कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (1987 का 39) की धारा 3-अ के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश न्यायमूर्ति श्री सूर्य कांत को तत्काल प्रभाव से उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष नामित करता है और दिनांक 9.2.2000 की अपनी अधिसूचना सं 115(अ) में निम्नलिखित संशोधन करता है अर्थात:-

उक्त अधिसूचना के क्रम संख्या 1 और उससे संबद्ध प्रवृष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रवृष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:-

1. न्यायमूर्ति श्री सूर्य कांत - अध्यक्ष

न्यायधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय

भरत पाराशर, ओ.एस.डी (एस.जी. ग्रेड में), सुप्रीम कोर्ट

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अतिरिक्त प्रभार के साथ

[विज्ञापन-III/4/असा./679/2024-25]

NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th November, 2024

F. No. 6(1)95-NALSA.—In exercise of the powers conferred by Section 3A of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987), Hon'ble the Chief Justice of India is pleased to nominate **Hon'ble Mr. Justice Surya Kant**, Judge, Supreme Court of India, as Chairman of the Supreme Court Legal Services Committee with immediate effect and makes the following amendment in its Notification No. S.O. 115(E) dated 09.02.2000 namely:-

In the said Notification, for the serial number (1) and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely: -

1. **“MR. JUSTICE SURYA KANT– CHAIRMAN”**

Judge, Supreme Court of India.

BHARAT PARASHAR, O.S.D (in the grade of S.G.), Supreme Court,

With additional charge of National Legal Services Authority

[ADVT.-III/4/Exty./679/2024-25]